

प्रेस नोट थाना गोला जनपद गोरखपुर दिनांक 24.06.2025

कूटरचित दस्तावेजों द्वारा धोखाधड़ी करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोला के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक गोला के नेतृत्व में 30नि0 देवेन्द्र सिंह यादव मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 548/2023 धारा 406,420,467,468,471,409,120(बी) भादवि0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता मालती गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्ता द्वारा बैंक से लोन लेकर अपने पति को मृतक बताकर कूटरचित मृत प्रमाण पत्र बनवाकर लोन की किस्तों को जमा नहीं किया गया तथा पूर्व में जमा की गयी किस्तों को अवैध रूप से धोखाधड़ी कर डेथ पे एमाउण्ट के रूप में बैंक से ले लिया गया। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पता -

मालती पत्नी खुशहाल निवासीनी ग्राम बिसरा थाना गोला जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 548/2023 धारा 406,420,467,468,471,409,120 (बी) भादवि0 थाना गोला जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक अंजुल चतुर्वेदी थाना गोला जनपद गोरखपुर
2. 30नि0 देवेन्द्र सिंह यादव थाना गोला जनपद गोरखपुर
3. का0 बलवीर सिंह थाना गोला जनपद गोरखपुर
4. म0का0 रमा पाण्डेय थाना गोला जनपद गोरखपुर
5. म0पीआरडी चन्द्रावती थाना गोला जनपद गोरखपुर